प्रेषक,

सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

सेवा में,

समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः मा0शि0प0/समन्वय/ 251 दिनांकः 13 जुलाई 2016

विषयः **माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा मे सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों से परीक्षा शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

ज्ञातव्य है कि शासनादेश संख्याः 403/15-7-2016 दिनांकः 12 अप्रैल 2016 एवं कार्यालय ज्ञाप/शुद्धिपत्र संख्याः 648/15-7-2016 दिनांक 27 अप्रैल 2016 द्वारा वर्ष 2017 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट की परीक्षा मे सम्मिलित होने वाले संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क मे वृद्धि की गयी है।

अस्तु निम्नलिखित विवरण के अनुसार परीक्षा शुल्क नियमानुसार कोषपत्र के माध्यम से कोषागार मे जमा कराया जायेगा।

| क्रम | परीक्षा का नाम | संस्थागत/व्यक्तिगत | परीक्षा शुल्क (रू0/पै0) | अंकपत्र शुल्क (रू0/पै0) | अग्रसारण शुल्क (रू0/पै0) | योग (रू0/पै0) | प्रधानाचार्य के प्रयोगार्थ (रू0/पै0) | कोषागार मे जमा की जाने वाली धनराशि (रू0/पै0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हाईस्कूल | संस्थागत | 200-00 | 1-00 | - | 201-00 | 0-25 | 200-75 |
| 2 | हाईस्कूल क्रेडिट सिस्टम | संस्थागत | 200-00 | 1-00 | - | 201-00 | 0-25 | 200-75 |
| 3 | हाईस्कूल | व्यक्तिगत | 300-00 | 1-50 | 5-00 | 306-50 | 0-50 | 306-00 |
| 4 | हाईस्कूल क्रेडिट सिस्टम | व्यक्तिगत | 300-00 | 1-50 | 5-00 | 306-50 | 0-50 | 306-00 |
| 5 | हाईस्कूल विनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त परीक्षा हेतु | व्यक्तिगत | 200-00 | 1-50 | 5-00 | 206-50 | 0-50 | 206-00 |
| 1 | इण्टरमीडिएट | संस्थागत | 220-00 | 1-00 | - | 221-00 | 0-25 | 220-75 |
| 2 | इण्टरमीडिएट कृषि भाग-1 एवं 2 | संस्थागत | 220-00 | 1-00 | - | 221-00 | 0-25 | 220-75 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | इण्टरमीडिएट | व्यक्तिगत | 400–00 | 1–50 | 5–00 | 406–50 | 0–50 | 406–00 |
| 4 | इण्टरमीडिएट कृषि भाग–1 एवं 2 एवं व्यावसायिक | व्यक्तिगत | 400–00 | 1–50 | 5–00 | 406–50 | 0–50 | 406–00 |
| 5 | इण्टरमीडिएट विनियम के अन्तर्गत एक विषय की परीक्षा हेतु | व्यक्तिगत | 200–00 | 1–50 | 5–00 | 206–50 | 0–50 | 206–00 |

अस्तु उक्तानुसार विद्यालयों को अवगत कराते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय

13.7.16

(शिवलाल)
अपर सचिव (प्रशासन)

पृ0सं0–मा0शि0प0 / समन्वय / 251–3 दिनांकः 13 जुलाई 2016

उक्त की प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1–समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
2–क्षेत्रीय सचिव, मा0शि0प0, क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ / बरेली / वाराणसी / इलाहाबाद।
3–वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सभापति, मा0शि0प0, उत्तर प्रदेश। शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड लखनऊ।

13.7.16

(शिवलाल)
अपर सचिव(प्रशासन)